सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 175/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :–29.07.2022

GCMS ID–2022/139

उनवान

1. धन्नालाल शर्मा आ0 लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी देवजी का थाना हाल निवासी 2 ग 16 टीचर्स कॉलोनी केशोपुरा मीरा मार्के कोटा राज0
2. अभिषेक आ0 गोरधन लाल जाति ब्राहम्ण निवासी देवजी का थाना हाल निवासी 2 ग 16 टीचर्स कॉलोनी केशोपुरा मीरा मार्के कोटा राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. लटूरी बाई पुत्री राधाकिशन जाति भील निवासी भीलो का झौपडा देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. बहादुर माता लटूरी पिता बरधा जाति भील निवासी भीलो का झौपडा देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. भैरू माता लटूरी पिता बरधा जाति भील निवासी भीलो का झौपडा देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
4. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– रामेश्वरप्रसाद रेगर

संशोधित–आदेश दिनांक : 19.06.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषिह भूमि वाके ग्राम देवली का थाना में स्थित है जो सम्वत 2076 से 2079 की खतोनी संख्या 131 में कुल किता 21 कुल रकबा 10.5461 हैक्टेयर है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है व शेष 1/2 हिस्सा प्रार्थी के भाई गोरधन लाल का दर्ज है प्रार्थी के भाई गोरधन लाल की मृत्यु हो गई प्रार्थी संख्या 2 गोरधनलाल का पुत्र है। भूमि की जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में खसरा संख्या 519, 520, 521, 522, 523 के सहारे अप्रार्थी संख्या लटूरी के खातेदारी की भूमि स्थित है प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के मध्य मेड बनी हुई है। तथा मेड से दोनों की भूमिया अलग अलग बटी हुई है। और प्रार्थी व प्रार्थीगण अपनी अपनी खातेदारी की भूमियों पर वर्षो से काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण के कोटा रहने के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आधोली से ब जुवारे पर काश्त करवाते है प्रार्थी के कोटा रहने अनुचित फायदा उठाकर

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जून 2022 में अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के मध्य बनी हुई मेड को नष्ट कर प्रार्थी के भूमि के अन्दर 20 फिट तक लम्बाई में जबरन हंकाई कर दी। तथा कुल हिस्से पर पत्थर के पिल्लर गाड दिये जिसकी जानकारी प्रार्थी को अपने आधालिये द्वारा दिये जाने पर प्रार्थी में मौके पर आकर अप्रार्थीगण को ओलमा दिया तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से कहा कि हमारी भूमि तुम्हारे खेत में मिली हुई है इसलिए हमने यह जमीन हांकी है हमने तो हमारी जमीन की पेमाईस करवा ली है इसलिए हमने तो हमारी भूमि तक ही हंकाई की है और प्रार्थी से कहा कि तुम तुम्हारी भूमि की नपाई करवा लो और हमारे द्वारा हकी हुई जमीन तुम्हारे खाते में निकलती है तो हम तुम्हारी जमीन पर से पिल्लर व हटा लेगे। प्रार्थी ने तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि खसरा संख्या 519 से 523 का सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन किया और तहसीलदार साहब के आदेश पटवारी काननूगो ने मौके पर सीमाज्ञान किया लेकिन अप्रार्थी द्वारा भूमि हांकने व पिल्लर गाड देने से उनके द्वारा विवाद किया गया और धमकी दी कि सीमाज्ञान को हम नहीं मानते है हमारी मॉजूदगी में पत्थरगढी करवाओ और बिना पत्थरगढी करवाये जमीन पर आये तो तुम्हारे खिलाफ बलात्कार व छेडखानी व धारा 3 का मुकदमा दर्ज करवायेगे। उक्त धमकी दिनांक 30.06.2022 को देने से प्रार्थी के समक्ष अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी अप्रार्थीगण व पुलिस की मौजूदगी में करवाकर विवाद का निस्तारण करवाना चाहता है तथा पडोसियों से किसी प्रकार का विवाद नहीं रखना चाहता है इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी के आदेश पारित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि वाके ग्राम देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 111, 118, 128 के तहत पत्थरगढी करने के आदेश जारी करने के अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 519, 520, 521, 522, 523 वाके देवजी का थाना पटवारी हल्का देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में पत्थरगढी अप्रार्थीगण व पुलिस की मौजूदगी में करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थीगण पत्थरगढी की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तत्पर है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब किए गए। जिस पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि के सहारे अप्रार्थीगण की भूमि होना स्वीकार है। भूमि पर कुंआ, झुझार का चबूतरा, नीम का काफी पुरान वृक्ष और मौके पर पिल्लर लगें हुए है जहॉ तक अप्रार्थी की भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी की भूमि के बीच वर्षो से पिल्लर गढे हुए है। दोनों की भूमि अलग–अलग है। प्रार्थीगण पत्थरगढी की आढ में अप्रार्थी के कुंए व नीम के पेड

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

को हडपना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर उनकी भूमि के बाद जिन खातेदारों की भूमियॉ है। हमें प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमियों के मध्य पिल्लर गडे हुए है। प्रार्थीगण केवल अप्रार्थी के कुंए को हडपना चाहते है। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली से पत्थरगढी हेतु जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पत्रांकः–570/राजस्व/25 दिनांकः–03.03.2025 से जॉच रिपोर्ट पेश कर विवादित भूमि प्रार्थीगण धन्नालाल ब्राहम्ण व अभिषेक ब्राहम्ण के संयुक्त खाते में दर्ज होना, उक्त भूमि पर खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त होना, विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय में वाद दायर नहीं होना, स्थगन नहीं होना एवं विवादित भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं होना अंकित किया गया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान् को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के सहखाते की भूमियॉ है। प्रार्थीगण का उक्त भूमियों में बराबर हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 519, 520, 521, 522, 523 के सहारे अप्रार्थी लटूरी की खातेदारी भूमि स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के मध्य मेड बनी हुई है तथा मेड से दोनों की भूमिया अलग–अलग बंटी हुई है। प्रार्थीगण के कोटा रहने के कारण व अपनी भूमियों पर आधौली व जुआरे पर काश्त करवाते है इसी का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने हमारे बीच मेड को नष्ट कर भूमि के अन्दर 20 फीट तक पिल्लर गाडकर हकाई कर दी है। हमने तो हमारी भूमियों की पैमाइस करवाकर पत्थर गाढे है। हमारे द्वारा तहसील कार्यालय में सीमाज्ञान आवेदन करने पर मौके पर पटवारी व कानूनगो के जाने पर अप्रार्थी ने सीमाज्ञान कराने से मना कर दिया व मौके पर विवाद होने से सीमाज्ञान नहीं हो पाया है। सीमा संबंधी विवाद के निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 522 के सहारे स्थित अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 524 की सीमा पर पत्थरगढी के आदेश दिए जावे। अन्य खसरा नम्बर पर सीमा विवाद नहीं होने से हम पत्थरगढी नहीं करवाना चाहते है।

वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमियों के मध्य पिल्लर गडे हुए है। जो कि वर्षो पूर्व से मौके पर विद्यमान है। प्रार्थीगण पत्थरगढी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

के बहाने अप्रार्थी की भूमि पर बने हुए कुंए, झुझार जी के चबूतरे व नीम के पौधे को हडपना चाहते है। जबकि हमारी भूमियों की मौके पर अलग–अलग सीमा निर्धारित हो रही है। इनके द्वारा केवल एक ही नम्बर पर पत्थरगढी करवाई जाकर अनावश्यक विवाद की स्थिति बनाई जा रही है। साथ ही इनके द्वारा अन्य पडोसी खातेदारों का भी पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में केवल विवादित भूमि की सीमा को तय किया जा सकता है तथा कब्जा किसी व्यक्ति को कोई अधिकार सृजित नहीं करता है। हम केवल हमारी भूमियों की सीमाओं का पता करने हेतु पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम थाना पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 131 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड सहखातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: संशोधित क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 131 के खसरा संख्या 522 व अप्रार्थी लटूरी वगै0 की भूमि खसरा नम्बर 524 के मध्य स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 519 व 523 वाके ग्राम थाना पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

उक्त संशोधित निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446